//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 140 / 2021

उनवान

1. देवकरण पुत्र संग्राम,
2. रतन पुत्र देवकरण,
3. जीवराज पुत्र देवकरण
4. हेमराज पुत्र देवकरण ना.बा. जरियें संरक्षक पिता
5. ब्रमा पुत्री देवकरण,
6. ग्यारसी पुत्री देवकरण समस्त जाति गुर्जर निवासीगण बैवंजा, नसीराबाद।

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सांवरा पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी दिलवाड़ा (तर्क)
2. रामकरण पुत्र संग्राम,
3. लक्ष्मण पुत्र संग्राम जाति गुर्जर निवासी बैवंजा, नसीराबाद
4. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 2 से 3 जरियें अधिवक्ता श्री रणजीत रावत
4 व 5 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :–   दिनांक :– 1.4.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा की निम्न आराजी वादीगण की कयशुदा खातेदारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

वंकिंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
575	4–0–0	1242	0.65

उपरोक्त आराजी चौसाला खसरा नम्बर 205, 204 व 201 के वंकिंग खसरा नम्बर 575 रकबा 4–0–0 व 529 रकबा 0–4–0 की आराजी सांवरा पुत्र रामकरण जाट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 सांवरा पुत्र रामकरण द्वारा उक्त आराजी दिनांक 25.08.2005 को वादीगण की पत्नी / माता मृतिय पत्नी देवकरण को बैचान कर दी तथा भूमि का कब्जा वादीगण की पत्नी / माता को सुपुर्द कर दिया। [illegible] आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वंकिंग खसरा नम्बर [illegible]5 व [illegible]9 की भूमि खातेदार सांवरा प्रतिवादी संख्या 1 ने जरियें विक्रय पत्र दिनांक [illegible].05.83 [illegible] संख्या 2, 3 व वादी संख्या 1 के पिता संग्राम पुत्र धीरा [illegible] नामान्तकरण संख्या 43 दिनांक 21.05.1987 से वंकिंग जमाबंदी में किया गया। आराजी [illegible]नाजा राजस्व अभिलेख में

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45.41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मतिया/वारिसान के नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग व राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने हक अधिकारों से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता संग्राम के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वाद विचारण के दौरान वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जरियें अधिवक्ता प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश किया। राज0 पैराकर ने जाहिर किया कि प्रकरण में राज हित प्रभावित नही होने से वादीगण अपना वाद स्वयं सिद्व करे। प्रकरण में किसी प्रकार का खण्डन नही होने से तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादी ने साक्ष्य नही पेश करना जहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। चौसाला खसरा नम्बर 205 रकबा 3–15–0 की आराजी तत्कालीन खातेदार संग्राम पुत्र धीरा ने जरियें विकय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को सांवरा पुत्र रामकरण को दिनांक 10.5.83 को बैचान की। केता सांवरा पुत्र रामकरण प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 375 मिन रकबा 3–15–0 जरियें विकय पत्र मतिया पत्नी देवकरण को दिनांक 25.08.05 बैचान कर दी। चौसाला खसरा नम्बर 205 के वंर्किग खसरा नम्बर 575 व वंर्किग खसरा नम्बर 575 के हालल खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.65 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने है। चौसाला खसरा नम्बर 205 रकबा 3–15–0 चैसाला जमाबंदी सम्वत् 2025–28 के खाता संख्या 2 में विकता के पूर्वजों के नाम दर्ज है। जो विरासत से विकता संग्राम पुत्र धीरा व अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 575 रकबा 4–0–0 वंर्किग जमाबंदी में संग्राम पुत्र छोगा के नाम दर्ज है तथा नामान्तकरण संख्या 6 दिनांक 8.5.86 के अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 575 रकबा 3–15–0 केता सांवरा पि0 रामकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। चौसाला जमाबंदी में खातेदार का नाम संग्राम पुत्र धीरा दर्ज है किन्तु वंर्किग जमाबंदी में संग्राम पुत्र छोगा दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार तत्कालीन खातेदार सांवरा पि0 रामकरण जाति जाट ने उक्त कयशुदा आराजी मतिया पत्नी देवकरण जाति गुर्जर को बैचान कर दी। मतिया की मृत्यु हो गयी है जिसके वारिस वादीगण ही है। संग्राम पुत्र धीरा के पुत्र देवकरण वादी, रामकरण, लक्ष्मण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का प्रथम खातेदार संग्राम पुत्र धीरा की पुत्रवधु ने पुनः उक्त आराजी क्रय की है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वाद में लिखित स्वीकारोक्ति पेश की है। उक्त विकय पत्र पंजीकृत है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। विकय पत्र की पालना में हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वादीगण की पत्नी/मां मतिया के नाम दर्ज करनी चाहिये थी। किन्तु बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से पुनः प्रथम विकेता संग्राम पुत्र धीरा के नाम दर्ज कर दी। जबकि संग्राम पुत्र धीरा ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी मतिया पत्नी देवकरण को बैचान के तथ्य [illegible] सिद्व होते है। प्रतिवादी अथवा राज0 पैराकार ने प्रकरण का कोई [illegible] है। वादीगण ने हाल खसरा नम्बर 1242 रकबा 0.65 पर खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 575 मिन रकबा 3–15–0 ही कय किया है। अतः वादीगण हाल खसरा नम्बर 1242 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

––3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

0.65 में से 0.60 रकबे पर ही खातेदारी प्राप्त कर सकते है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र व राजस्व अभिलेख से उक्त तथ्यों की ताईद होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम बैवन्जा के हाल खसरा नम्बर 1242 मिन रकबा 0.60 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

देवकरण वगै0 बनाम सांवरा वगै0

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 140/2021
पेश करने की दिनांक – 16.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–द हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई रणजीत रावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बैवन्जा के हाल खसरा नम्बर 1242 मिन रकबा 0.60 की आराजी पर वादीगण का वाद "**स्वीकार**" किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 4 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:45:41 IST
Reason: SelfAttested